सीएसआईआर- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/4/2020-राभा

दिनांक : 28.07.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान में वर्ष 2019-20 के लिए लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं की प्रविष्टियों का आमंत्रण ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 04.12.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए लागू की गई निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाओं को वर्ष 2019-20 (1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक) के लिए लागू किया गया था :

1. **सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना ।**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2020- राजभाषा (योजना-1), दिनांक 22.01.2020)
2. **सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रोत्साहन भत्ता योजना।**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2020- राजभाषा (योजना-2), दिनांक 22.01.2020)
3. **सीएसआईआर-सीरी हिंदी श्रुतलेख (डिक्टेशन)प्रोत्साहन योजना(अधिकारियों के लिए)**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2020- राजभाषा (योजना-3), दिनांक 22.01.2020)
4. **सीएसआईआर-सीरी वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना।**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2020- राजभाषा (योजना-4), दिनांक 22.01.2020)
5. **सीएसआईआर-सीरी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।**
   (का.ज्ञा.सं. 35/4/2020- राजभाषा (योजना-5), दिनांक 22.01.2020)

इन राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट (https://www.ceeri.res.in/wp-content/uploads/2020/01/OMs2019-20 22012020.pdf) पर दी गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों का आमंत्रण किया जाता है । इच्छुक नियमित सहकर्मी अपनी प्रविष्टियाँ 05 अगस्त, 2020 तक राजभाषा प्रकोष्ठ में भिजवाना सुनिश्चित करें। योजनाओं के प्रपत्र संस्थान की **वेब साइट** पर प्रपत्र/**FORMS सेक्शन** के अंतर्गत **"राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के प्रपत्र/Proformae for Hindi Incentive Schemes"** नामक लिंक से **डाउनलोड** किए जा सकते हैं।

28/07/2020

(रमेश बौरा)
हिन्दी अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. सभी निर्णय एकक/पैकेज/अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सहकर्मियों की प्रविष्टियाँ निर्धारित तिथि तक इस अनुभाग को अग्रसारित कर दें।
4. सभी सूचना पट्ट
5. प्रभारी, एनएमसी – वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।